

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह, आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या :- 154 / 2020 प्रा.पत्र

श्री महेन्द्र सिंह पिठे गांधीसिंह राजसूत नि. जामगढ़- तहसील करेडा-कोटा

—प्रार्थी।

बनाम

1- श्री भगवती लाल 56 चरदी चन्द कलाल नि. जामगढ़- तहसील करेडा-कोटा
—विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: निर्णय ::

दिनांक: 11/01/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा० भू० राज० अधि० 1956 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जामगढ़.....पटवार हल्का जामगढ़..... भू०अ०नि० क्षेत्र जामगढ़..... उनके खाता संख्या १३४ की आ०नं० १०११ रकना ०५ बित्ता, १०१२ रकना ०६ बित्ता, १०१५ रकना १८ बित्ता, १११३ रकना १७ बित्ता, १५७२/१०१५ रकना ०३ बीघा किलोचिंत-५ रकना ०५ बीघा ०७ बित्ता..... स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य जी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। में प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक १३/१/२०२० को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से रगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की फेरी होने का अदंशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।


:: आदेशः

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया कर ग्राम जामगढ़.....पटवार हल्का जामगढ़..... भू०अ०नि० क्षेत्र जामगढ़..... में उनके खाता १३४ की आ०नं० १०११ रकना ०५ बित्ता, १०१२ रकना ०६ बित्ता, १०१५ रकना १८ बित्ता, १११३ रकना १७ बित्ता, १५७२/१०१५ रकना ०३ बीघा किलोचिंत-५ बीघा ०७ बित्ता.....

भूमि स्थित है। भूमि के चारों तरफ सीमा की ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू.अ.नि० जामगढ़..... को ६५०/- रुपये मेश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। मेश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये तकिल विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।
ग्न :- प्रार्थना पत्र प्रति।


उपखंड उपखंड अधिकारी
करेडा जिला भीलवाडा

लिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।


उपखंड उपखंड अधिकारी